



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001.
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या- 1526-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2020-4(65)ई0एम0-03/1986

दिनांक: 11 नवम्बर, 2020.

स्पीड-पोस्ट

श्री ज्ञानेन्द्र यादव,
सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता,
विला सं0-ए-27, मालाबार, एल्डेको मैन्शन्ज, जवाहरपुरम,
न्यू शिवली रोड, कल्यानपुर, कानपुर-208017. (मो0नं0-9140674208)

विषय:- अवशेष दाण्डिक किराया रु0-41,217.00 जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में आपके द्वारा योजित अवमानना याचिका संख्या-227/2018 (श्री ज्ञानेन्द्र यादव बनाम श्रीमती अपर्णा यू0, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड) में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के अनुपालन में, आपके द्वारा विभागीय आवास का अवैधानिक अध्यासन रखने एवं रिक्त नहीं किये जाने के कारण, कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-542-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2020-4(65) ई0एम0-03/1986 दिनांक 21.03.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से, आपकी पेंशन का भुगतान रोक दिया गया था।

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपसंस्थान खण्ड, पनकी, कानपुर के पत्र सं0-607/वि0400 के0 वी0उ0सं0ख0, दिनांक 26.10.2020, (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कारपोरेशन के संज्ञान में लाया गया है कि आपने विभागीय आवास सं0-ई-117, आफीसर्स कालोनी, पनकी, कानपुर को दिनांक 13.10.2020 को रिक्त कर दिया है तथा दिनांक 13.10.2020 तक कुल दाण्डिक किराया रु0-18,90,077.41 बनता है, जिसमें से दिनांक 30.04.2019 तक के रु0-16,96,722.58 सेवानिवृत्तिक लाभ से समायोजित कर लिए जाने के उपरान्त रु0-1,93,355.00 अवशेष हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि कारपोरेशन के निर्देशानुसार दाण्डिक किराये की वसूली खण्ड द्वारा रु0-3,950.00 प्रतिमाह की दर से 39 किश्तों में रु0-1,52,138.00 की प्रत्याप्ति पूर्ण कर ली गयी थी, इसलिए अभी रु0-41,217.00 अवशेष दाण्डिक किराया, आपके स्तर से जमा कराया जाना शेष है।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपकी अवमानना याचिका संख्या-227/2018 में मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 08.01.2021 नियत है, इसलिए विभागीय आवास का अवशेष दाण्डिक किराया रु0-41,217.00 (रु0-इकतालीस हजार दो सौ सत्रह मात्र), कार्यालय, अधिशाली अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपसंस्थान खण्ड, पनकी, कानपुर में अविलम्ब जमा कर, मूल रसीद की छाया प्रति, उपसंस्थान खण्ड से सत्यापित कराते हुए, अधिशाली प्रबन्ध अनुभाग-03 (कक्ष सं0-621), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ में अतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आपकी रोकी गयी पेंशन के भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सके।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0-03)

संख्या-1526(1)-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2020- दिनांक 11 नवम्बर, 2020.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

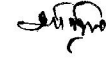
- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ।
- 2- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन नि0 लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता (सीसीडी-तृतीय), जानपद-निर्माण खण्ड-तृतीय, 1ग 660 मे0वा0 पनकी विस्तार परियोजना पनकी, कानपुर के पत्र सं0-660 एवं पत्र सं0-659 दिनांक 20.10.2020 के सन्दर्भ में।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उप संस्थान खण्ड, पनकी, कानपुर-208020 को पत्र सं0-607/वि0400के0वी0उ0सं0ख0, दिनांक 26.10.2020, के सन्दर्भ में।
- 6- लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- श्री मोहन अग्रवाल, अधिवक्ता, 5/89, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को मा0 अधिकरण की अवमानना याचिका संख्या-227/2018 श्री ज्ञानेन्द्र यादव बनाम श्रीमती अपर्णा यू0 के सम्बन्ध में।

पंजीकृत

पंजीकृत

स्पीड-पोस्ट

(हिमांशु वर्णाय)
उप सचिव (अ0प्र0-03)



✓ प्रति:- कट फाईल/कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।